<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022025-260716 CG-DL-E-03022025-260716

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] No. 34] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2025/माघ 14, 1946 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2025/MAGHA 14, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2025

सं. 44 / 2024-25

विषयः औष्घ सूत्रीकरण के निर्यात हेतु खोज—बीन प्रणाली से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक—2023 के पैरा 2.76 को हटाने के संबंध में।

फा. सं. 01/91/180/648/एएम-09/ईसी/ई-21052.—समय-समय पर यथा सं'ोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 (पूर्व में एचबीपी 2015-2020 का पैरा 2.90क) के पैरा 2.76 को हटाते हैं, जिसमें औषध सूत्रीकरण की निर्यात खेपों हेत् खोज-बीन प्रणाली के कार्यन्वयन हेत् प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

इस सार्वजिनक सूचना का प्रभाव : औषध सूत्रीकरण के निर्यात हेतु खोज—बीन प्रणाली से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक—2023 के पैरा 2.76 को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। निर्यात किए जाने वाली औषध सूत्रीकरण हेतु प्रमाणीकरण प्रणाली का कार्यान्वयन औषध नियम 1945 के तहत प्रावधानों के अनुरूप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

865 GI/2025 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st January, 2025

No. 44/2024-25

Subject: Withdrawal of Para 2.76 of Handbook of Procedure - 2023 regarding Track and Trace system for export of drug formulations -reg

F. No. 01/91/180/648/AM-09/EC/E-21052.—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby withdraws Para 2.76 of the Handbook of Procedures 2023 (previously Para 2.90A of HBP 2015-2020), which outlined the procedure for implementing the Track and Trace system for export consignments of drug formulations.

Effect of this Public Notice: Para 2.76 of the Handbook of Procedures 2023, concerning the Track and Trace system for the export of drug formulations, is hereby withdrawn with immediate effect. The implementation of the authentication system for drug formulations being exported shall be undertaken by Ministry of Health and Family Welfare in line with the provisions under Drug Rules 1945.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.